झारखण्ड विधान–सभा

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 6/2005]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

विषय सूची।

खण्ड ।

अध्याय- 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएँ ।

अध्याय-2

3. झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण की स्थापना।
4. न्यायाधिकरण और पीठों की संरचना।
5. कार्यकाल।
6. न्यायाधिकरण के सदस्यों एवं अध्यक्ष के वेतन,भत्ते एवं अन्य सेवा शर्ते
7. न्यायाधिकरण के कर्मचारी ।

अध्याय -3

8. झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ एवं प्राधिकार ।
9. न्यायाधिकरण को आवेदन ।
10. सीमाएँ ।
11. न्यायाधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य प्रणाली ।
12. आवेदक द्वारा किसी वकील अथवा विधि सहायक की सहायता प्राप्त करने की शक्ति ।
13. अंतरिम आदेश पारित करने की शर्ते ।
14. बहुमत के आधार पर निर्णय ।
15. अपील ।
16. न्यायाधिरण की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी ।
17. न्यायाधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे ।
18. सद्भाव में कृत कार्रवाई के विरुद्ध अभिरक्षा ।
19. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।
20. राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियाँ ।
21. भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्तियाँ ।
22. न्यायाधिकरण द्वारा पारित ओदश का कार्यान्वयन ।
23. नियम का उपस्थापन ।

झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी०एम०ए० पाई बनाम, कर्नाटक राज्य एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट पेटिशन (पी० आई० एल०) संख्या-2744/2003 एवं डब्लू० पी० (पी० आई० एल०) सं० 2537/2002 में दिनांक 5 अगस्त, 2003 को दिये गये आदेश के अनुरूप सहायता प्राप्त, सम्बद्ध एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता एवं अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में अभिहित एक वैधिक फोरम की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :-

अध्याय -I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ** - (I) यह अधिनियम झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 कहा जायेगा-

   (ii) यह पूरे झारखंड राज्य में लागू होगा,

   (iii) इस अधिनियम के प्रावधान, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषा** :-- इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

   (क) **'प्रशासनिक सदस्य'** से अभिप्रेत है, न्यायाधिकरण का कोई सदस्य जो धारा-4(1)के अन्तर्गत शिक्षाविद् सदस्य नहीं है ;

   (ख) **'आवेदन पत्र'** से अभिप्रेत है, धारा -9 के अन्तर्गत किया गया आवेदन ;

   (ग) **'निर्धारित तिथि'** से अभिप्रेत है, न्यायाधिकरण के संदर्भ में वह तिथि जिस तिथि से धारा -3 के अन्तर्गत अधिसूचना द्वारा इसे स्थापित किया गया हो ;

   (घ) **'पीठ'** से अभिप्रेत है, न्यायाधिकरण की पीठ ;

   (ड.) **'झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण'** से अभिप्रेत है, धारा-3 के अन्तर्गत स्थापित न्यायाधिकरण ;

   (च) **'अध्यक्ष'** से अभिप्रेत है, न्यायाधिकरण का अध्यक्ष ;

(छ) **'शिक्षाविद् सदस्य'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण का वह सदस्य जो धारा-4 की उपधारा 4 (ii) में वर्णित कोई अर्हता रखता हो ;

(ज) **'सदस्य'** से अभिप्रेत है, इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सहित कोई भी सदस्य (शिक्षाविद् या प्रशासनिक) ;

(झ) **'अधिसूचना'** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना ;

(ट) **'विहित'** से अभिप्रेत है इस अधिनिमय के अन्तर्गत निर्धारित नियम से विहित ;

(ठ) **'नियम'** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-20 एवं 21 के अन्तर्गत निर्मित नियम ;

(ड) **'सेवा'** से अभिप्रेत है धारा-2 (ण) में निर्दिष्ट शिक्षण संस्थान में की गयी सेवा ;

(ढ) **'सेवा विषय'** से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति के संदर्भ में, वे सभी विषय जो उस व्यक्ति द्वारा शिक्षण संस्थान (सरकारी शिक्षण संस्थान को छोड़कर) के क्रियाक्लापों में उसकी सेवा से सम्बन्धित मामलों से सम्बन्ध रखता हो ;

(ण) **'शैक्षिक संस्थानों'** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में स्थित निजी प्रबंधन द्वारा प्रशासित एवं संचालित शैक्षिक संस्थान ।

अध्याय -II

3. झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण की स्थापना--राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा एक शिक्षा न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है जो ''झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण'' के नाम से सर्वज्ञात होगा ।

4. न्यायाधिकरण और पीठों की संरचना-- 1. न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे । सदस्यों में एक प्रशासनिक सदस्य होगा तथा दूसरा शिक्षाविद् सदस्य होगा ।

2. पूर्वगामी प्रावधानों के बावजूद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, विशिष्ट अथवा सामान्य आदेशों के द्वारा मामलों के वर्गीकरण के आधार पर किसी सदस्य अथवा सदस्यों को एकल अथवा द्विसदस्यीय पीठ के रूप में न्यायाधिकरण के अधिकार एवं शक्ति के प्रयोग के लिए प्राधिकृत करने हेतु पूर्णरूपेण सक्षम होंगे।

3. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण की पीठ सामान्यत: राँची में ही बैठेगी किंतु अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्णय/आदेश के आधार पर झारखण्ड राज्य के किसी भी जिला मुख्यालय में पीठ बैठ सकती है ।

4. **अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति हेतु अर्हता** -- (i) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश या भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के सेवा निवृत पदाधिकारी ही अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं।

(ii) शिक्षाविद् सदस्य होने के लिए निम्न अर्हता आवश्यक होगी -

(क) वह किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो ।

या

(ख) वह किसी विश्वविद्यालय का विगत 5 वर्षो से प्रोफेसर हो या 5 वर्षो तक प्रोफेसर रहा हो। या

(ग) वह राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-1 का पदाधिकारी 15 वर्षो से हो या 15 वर्षो तक रहा हो । या

(घ) सामाजिक आर्थिक राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ इस प्राधिकरण का सदस्य हो सकता है ।

(iii) कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण का प्रशासनिक सदस्य नहीं हो सकता जब तक कि वह दो वर्षो तक कम से कम झारखण्ड राज्य के अपर सचिव के पद एवं वेतनमान अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में झारखंड सरकार के कम से कम अपर सचिव के वेतनमान के पद पर कार्यरत न रहा हो तथा उसे समुचित प्रशासनिक अनुभव न रहा हो ।

(iv) इस अधिनियम की धारा-4 की उपधारा(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

5. **कार्यकाल--** सामान्यतः न्यायाधिकरण के सदस्यों तथा अध्यक्ष का कार्यकाल योगदान की तिथि से 3 वर्षो का होगा ।

6. **न्यायाधिकरण के सदस्यों एवं अध्यक्ष के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्ते।** - न्यायाधिकरण के सदस्यों एवं अध्यक्ष को देय वेतन, भत्ते (पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृति लाभों सहित) का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा परन्तु इस वेतन निर्धारण से उनके पूर्व निर्धारित वेतन, भत्ते आदि में कोई ऐसा परिवर्त्तन नहीं किया जायगा जो उनके न्यायाधिकरण का सदस्य अथवा अध्यक्ष बनने के बाद उनके लिए अलाभकारी सिद्ध हो।

7. **न्यायाधिकरण के कर्मचारी --** (1)न्यायाधिकरण के सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों की संख्या, वर्ग तथा अन्य सेवा शर्त्तों का निर्धारण तथा नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे।

(2) न्यायाधिकरण के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी अपने कार्यों का निष्पादन अध्यक्ष के सामान्य पर्यवेक्षण में करेंगे।

(3) न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्ते उसी प्रकार होंगी, जैसा राज्य सरकार नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

अध्याय III
न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ एवं प्राधिकार

8. झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ एवं प्राधिकार – इस अधिनियम के तहत् झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण, अस्तित्व में आने की तिथि से, अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए अधोलिखित मामलों में उस तिथि के पूर्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रयोग किये जा रहे अधोलिखित के संबंध में सभी कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करेगा (माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) :-

(क) शिक्षण संस्थानों में किसी पद पर हुई नियुक्तियाँ/नियुक्ति से संबंधित मामले;

(ख) शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामले ;

(ग) शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के विरुद्ध कर्मचारियों की शिकायतें ;

(घ) छात्रों के माता-पिता एवं अभिभावकों द्वारा शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन के विरुद्ध शिक्षण स्तर, शुल्क संरचना "आधारभूत संरचना, विकास कार्य" एवं उनसे जुड़े अन्य मामलों के सम्बंध में प्राप्त शिकायतें;

(ड.) शिक्षण संस्थानों से जुड़े ऐसे मामले, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा न्यायाधिकरण को प्रेषित किये जायें ।

9. न्यायाधिकरण को आवेदन -- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों से सम्बंधित किसी आदेश से पीड़ित व्यक्ति न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी समस्या के निदान हेतु आवेदन कर सकता है।

व्याख्या :- उपरोक्त उपधारा में वर्णित 'आदेश' से तात्पर्य होगा :-

(क) किसी सहायता प्राप्त, संबद्ध एवं निजी संस्थान के प्रबंधन द्वारा निर्गत आदेश ।

(ख) निजी शिक्षण संस्थान के किसी पदाधिकारी, समिति या अन्य निकाय या संस्था जैसा कि उपर्युक्त उपधारा-क में वर्णित है, द्वारा निर्गत आदेश ।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत दिये गये विहित आवेदन पत्र के साथ आरोप से संबंधित प्रमाण के अभिलेख एवं साक्ष्य तथा आवेदन पत्र दाखिल करने हेतु निर्धारित शुल्क (यदि कोई हो) एवं अन्य सेवा शुल्क, जो इन प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, संलग्न रहना चाहिए ।

(3) न्यायाधिकरण उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को सुनवाई के लिए योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर लेगा। न्यायाधिकरण जिस आवेदन पत्र से संतुष्ट नहीं हो उसे वह कारणों का उल्लेख करते हुए सुनवाई के लिए अस्वीकार कर सकता है ।

(4) ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें न्यायाधिकरण अन्यथा विनिर्दिष्ट करे, न्यायाधिकरण द्वारा उपधारा (3) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु स्वीकृत आवेदन पत्रों से संबंधित ऐसे मामले जो संगत सेवा नियमावली के अधीन अन्यत्र सुनवाई हेतु पूर्व से लंबित हो, स्वतः निरस्त हो जायेंगें तथा ऐसे मामलों से सम्बंधित कोई अभ्यावेदन या अपील संगत सेवा नियमावली के अधीन स्वीकार्य नही होगी।

10. **सीमाएँ** --(1) न्यायाधिकरण किसी आवेदन पत्र को सुनवाई हेतु तब तक स्वीकार नही करेगा जब तक कि उसके समक्ष ऐसी समस्या के निदान हेतु आवेदन दिया गया हो :-

(क) जो न्यायाधिकरण की स्थापना के तीन वर्ष पूर्व तक की कालावधि के अन्दर निर्गत आदेश के कारण उत्पन्न हुई हो, तथा

(ख) जिसके निबटारे हेतु उक्त तिथि से पूर्व कोई कार्रवाई किसी उच्च न्यायालय में नहीं चल रही हो ।

(2) उप धारा-1 के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन के लिए स्वीकृत वादों के अतिरिक्त उन आवेदन पत्रों को विचारार्थ सुनवाई हेतु स्वीकर कर सकेगा जिस आदेश से समस्या उत्पन्न हुई हो उसके निर्गत होने की तिथि के छः माह के भीतर आवेदन न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो ।

यदि न्यायाधिकरण संतुष्ट हो कि निर्धारित अवधि में आवेदन दायर नहीं करने के उचित कारण है, तो उपर्युक्त सीमा को न्यायाधिकरण क्षान्त कर सकता है।

11. **न्यायाधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य प्रणाली** -- (1) न्यायाधिकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या -5) की प्रणाली से बाधित नहीं रहेगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों तथा इस अधिनियम में दी गई व्यवस्था या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु बनाये गये नियमों से निदेशित होगा। न्यायाधिकरण अपने जाँच के तरीके समय, स्थान एवं कार्य प्रणाली निर्धारित करने हेतु सक्षम होगा । न्यायाधिकरण यह स्वयं निर्धारित कर सकेगा कि वह किसी मामले की खुली या बंद कमरे की सुनवाई करे ।

(2) न्यायाधिकरण प्राप्त आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निष्पादन करेगा। साधारणतया प्रत्येक आवेदन पत्र का निष्पादन संगत अभिलेख के अवलोकन, लिखित अभ्यावेदन पर विचार एवं मौखिक सुनवाई के बाद किया जायेगा। उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण विवादित विन्दु के संबंध में निर्णय देगा एवं ऐसा आदेश पारित करेगा/निर्देश देगा जो वह उचित समझें ।

(3) निम्नलिखित मामलों में इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को मामलों के निष्पादन हेतु वही शक्तियाँ होंगी जो किसी व्यवहार न्यायालय को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में प्राप्त है :-

(क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ के अधीन साक्ष्य लेना;

(ख) आवश्यक अभिलेख की माँग एवं उपस्थापन ;

(ग) शपथ पत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की धारा-123 और 124 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी कार्यालय के अभिलेख या दस्तावेज या इसकी प्रतिलिपि की माँग करना ;

(ड.) गवाहों अथवा दस्तावेज की जाँच के लिए अधिकार पत्र निर्गत करना ;

(च) अपने निर्णयों की समीक्षा ;

(छ) किसी भी अभ्यावेदन को चूक, दोष के आधार पर खारिज करना अथवा उसमें एकतरफा निर्णय करना ;

(ज) किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा पारित बर्खास्तगी या अन्य दण्ड हेतु पारित आदेश को निरस्त करना ;

(झ) ऐसा कोई मामला जो राज्य सरकार न्यायाधिकरण को प्रेषित करे ।

12. **आवेदक द्वारा किसी वकील अथवा विधि सहायक की सहायता प्राप्त करने की शक्ति**-- कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपना पक्ष स्वयं अथवा अपनी इच्छानुसार किसी वकील की सहायता से रख सकता है।

13. **अंतरिम आदेश पारित करने की शर्तें** -- इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून, जो पूर्व से लागू हो के अन्तर्गत कुछ भी होने पर न्यायाधिकरण द्वारा किसी आवेदन पत्र पर कोई अन्तरिम आदेश, स्थगन आदेश या अन्य किसी वैधिक प्रक्रिया के द्वारा रोक का आदेश तब तक पारित नही किया जायगा जब तक कि -

(क) आवेदन पत्र की प्रति तथा साक्ष्य के रूप में संलग्न सभी दस्तावेज जो अंतरिम आदेश पारित करने हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष लाये गये हों, की प्रति उस पक्ष को उपलब्ध नही करा दी जाय जिसके विरुद्ध अंतरिम आदेश प्रस्तावित है, और

(ख) प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया हो ;

परन्तु न्यायाधिकरण, विशेष परिस्थिति में उप धारा (क) और (ख) में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध, जब कि वह संतुष्ट हो कि ऐसा नही करने से आवेदक की ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई नही हो सकती है, कारणों को लिखित रूप से दर्ज करते हुए, अंतरिम आदेश पारित कर सकता है ।

14. **बहुमत के आधार पर निर्णय** -- न्यायाधिकरण की पीठ के सदस्यों में यदि किसी विन्दु पर मतभिन्नता हो तो उस विन्दु पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा । ऐसे मामलों मे बहुमत निर्धारण हेतु न्यायाधिकरण के अध्यक्ष उपयुक्त पीठ का गठन करेंगे ।

15. **अपील** -- न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश/न्यायादेश के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी ।

16. **न्यायाधिकरण की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी** -- भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 15) की धारा-193, 219 और 228 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जायेगी ।

17. **न्यायाधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारी लोक सेवक होंगे** -- न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य तथा इस अधिनियम की धारा-7 में वर्णित सभी कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 15) की धारा-21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे ।

18. **सद्‌भाव में कृत कार्रवाई के विरुद्ध अभिरक्षा** -- इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण के द्वारा की गई कार्रवाई या चलायी जा रही कार्रवाई के कारण इसके अध्यक्ष या सदस्यों के विरुद्ध किसी तरह का कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी ।

19. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव** -- पूर्व से प्रवृत्त किसी अन्य विधि के वैसे प्रावधान जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत या विपरीत हैं, के सम्बंध में इस अधिनियम के प्रावधान ही प्रभावी होंगे ।

20. **राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियाँ** -- राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित मामलों में नियम बना सकेगी -

(क) अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में;

(ख) इस अधिनियम की धारा-7 की उप धारा-(3) के अंतर्गत न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन एवं भत्तों के संबंध में;

(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मामले ।

21. **भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्तियाँ** -- राज्य सरकार भूतलक्षी प्रभाव से नियम बना सकेगी परन्तु राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रभाव की तिथि के पूर्व की तिथि से नियम नहीं बना सकेगी, तथा ऐसे किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं करेगी जिससे किसी व्यक्ति जिस पर वह लागू होगा, उसका अहित हो ।

22. **न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का कार्यान्वयन** --

(क) न्यायाधिकरण न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971(Contempt of court Act, 1971) के अन्तर्गत 'न्यायालय' समझा जायेगा ।

(ख) न्यायाधिकरण को अपने आदेश/निदेशों/न्यायादेशों के कार्यान्वयन हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

23. **नियम का उपस्थापन** --

(i) इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम विधान-सभा के समक्ष यथाशीघ्र रखे जायेंगे ।

यह विधेयक झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण विधेयक, 2005 दिनांक 2 जुलाई, 2005 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 2 जुलाई, 2005 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

मै इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

सैय्यद सिब्ते रजी,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

राँची :
दिनांक 2 अगस्त, 2005

<u>सच्ची प्रतिलिपि</u>

सीताराम सहनी,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 70--81--10-12-2005--शनि मुण्डा ।